an>

title: Need for large scale publication of Constitution of India.

डॉ. भागीरथ प्रसाद: पूरे देश की व्यवस्था, संसद एवं अन्य विधायिकाएँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संचालन संविधान के अधीन है। नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्त्तव्य, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत आदि का प्रावधान इस संविधान में है। ...(व्यवधान) भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, भाईचारा, तरक्की के समान अवसर, अन्याय एवं शोÂषण से मुक्ति के मार्ग इसी संविधान से मिलते हैं। ...(व्यवधान) भारत के संविधान निर्माता के जन्म जयन्ती के 125वें वÂर्ष पर हमने अभी दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को संविधान दिवस मनाया है। ...(व्यवधान) पर खेद है कि संविधान की मूल प्रति को हम आम आदमी के हाथ में नहीं पहुंचा पाए हैं।...(व्यवधान) इसके प्रकाशन पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध है। ...(व्यवधान) यहाँ हम ब्रिटिश काल के ऑफीशियल सीक्रेट एक्ट की छाया महसूस करते हैं। ...(व्यवधान) विभाग की अनुमति के बिना कोई प्रकाशक संविधान को मूल रूप में प्रकाशित नहीं कर सकता। ...(व्यवधान) इसके लिए प्रकाशक को अनुमति लेना आवश्यक है। ...(व्यवधान) दूसरी ओर, भारत सरकार की ओर से से भी बहुत कम संख्या में इसका प्रकाशन किया जाता है तथा इसका मूल्य भी बहुत ऊँचा रखा जाता है। फलस्वरूप, आम आदमी के लिए भारतीय संविधान की प्रति पाना दुर्लभ है।

भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि भारतीय संविधान का प्रकाशन व्यापक पैमाने पर किया जाना चाहिए। प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिए कम कीमत पर बेहतर प्रकाशन के लिए, प्रकाशकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार के इस युग में हर व्यक्ति को अपने लोकतांत्रिक अधिकार के अनुसार, संविधान के उद्देश्य को मूर्त रूप देने का अधिकार है और कर्त्तव्य भी है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री आलोक संजर, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री पी.पी.चौधरी एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. भागीरथ प्रसाद द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।